

## कोल्हान टाइटल वाद संख्या- 36 / 2003-2004

सुरेंद्र देवगम ..... वादी

बनाम

शैलेंद्र हेम्ब्रम ..... प्रतिवादी

### आदेश

यह वाद दिनांक- 24.03.2004 को वादी सुरेंद्र देवगम ने Schedule "A" में वर्णित भूमि पर अपना हक दावा एवं भूमि पर दखल पाने हेतु प्रतिवादी शैलेंद्र हेम्ब्रम के विरुद्ध दाखिल किया गया है। Schedule "B" में वर्णित भूमि थाना संख्या- 642, खाता संख्या 32, प्लॉट संख्या- 968/1674, रकवा- 0.09 डिसमिल, मौजा- मतकमहातू में स्थित है। वाद पत्र के Schedule "A" में वर्णित वाद जमीन खाता संख्या 32, प्लॉट संख्या- 968/1674, रकवा- 0.50 डिसमिल भूमि Schedule "B" में वर्णित कुल रकवा- 0.09 डिसमिल का अंश है, जिसमें वादी मालिक है। उक्त जमीन सी.एन.टी. एक्ट के धारा 90 के अनुसार पारित आदेश दिनांक 30.04.1969 के द्वारा खाता संख्या- 54 प्लॉट संख्या- 968/1674 से काट कर उनके नाम से खाता में दर्ज की गई है। उक्त जमीन उनके दखल में है। प्रतिवादी 29.03.2003 को वाद जमीन पर मकान निर्माण करने की नियत से नीव कोड़ना शुरू किया, जिसका वादी के द्वारा विरोध किया गया। परंतु प्रतिवादी के द्वारा बताया गया कि उसने जमीन क्रय किया गया है एवं वादी के बात को ध्यान नहीं देते हुए गृह निर्माण का कार्य जारी रखा गया।

वादी के द्वारा धारा 144 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा के न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु आवेदन दिया। उक्त आवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा के न्यायालय में विविध वाद 14/2003 दर्ज किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा के द्वारा वादी के आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में पुलिस को जांच हेतु भेजा गया। परंतु लंबी अवधि बीत जाने पर भी पुलिस के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इस बीच प्रतिवादी अपना गृह निर्माण का कार्य जारी रखा।

प्रतिवादी ने वादी द्वारा दाखिल वाद पत्र के विरुद्ध लिखित जवाब (W/S) दाखिल किया है। जिसमें प्रतिवादी के द्वारा बताया गया कि वादी का दावा सही नहीं है एवं उनके द्वारा वाद जमीन पर कभी दखल नहीं किया गया है। प्रतिवादी का यह भी कथन है कि प्लॉट संख्या- 968 जमीन सामू हो पिता सोगा हो के नाम खाता संख्या- 54, मौजा- मतकमहातू में दर्ज है और प्रतिवादी ने खतियानी रैयत के वारिसान सुरेन देवगम तथा सदन देवगम से निबंधित बिक्री दलील संख्या- 1879 दिनांक- 30.09.1997 के द्वारा जमीन का मूल्य देकर खरीदा गया है और बिक्री दलील बनने के पूर्व अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहमूम, चाईबासा से सी.एन.टी. एक्ट के तहत अनुमति लेकर दलील निबंधित की गई है। जमीन खरीदने/निबंधन के बाद जमीन का तत्काल दखल विक्रेता के द्वारा किया गया और तब से प्रतिवादी द्वारा

h

क्रय की गई जमीन पर शांति पूर्ण दखल है। प्रतिवादी के द्वारा खरीदी गई जमीन का नामांतरण भी अपने नाम से कराते हुए उक्त जमीन का मालगुजारी भी देते है। प्रतिवादी के द्वारा क्रय की जमीन पर उसने लगभग 12,00,000.00 (बारह लाख) रुपये से अधिक खर्च कर पक्का मकान निर्माण कर अपने परिवार के साथ वर्ष 1997-1998 से रहते आ रहे हैं। वादी द्वारा लगाया गया आरोप तथा किया गया दावा कि "प्रतिवादी ने उनका जमीन का अतिक्रमण किया है" को खारीज करते हुए इंकार किया है। इस वाद में यह विचारनीय है कि वादी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी के पक्ष में बनी निबंधित बिक्री दलील को रद्द करने की प्रार्थना नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के पक्ष में बनाई गई निबंधित दलील कायम रहती है और प्रतिवादी भी निबंधित दलील के आधार पर ही खरीदी गई जमीन पर दखल हक का दावा करता है।

न्यायालय में दर्ज वादी स्वयं के गवाह में बयान दिया गया है, जिसमें स्वीकार किया है कि :-


"मैंने शैलेंद्र हेम्ब्रम की क्रय की गई जमीन केवाला देखा हूँ जिसमें प्लॉट संख्या- 968 का 0.13 एकड़ जमीन है जिस पर मकान बनाया है"


इस स्वीकारत्मक बयान से वादी का वाद जमीन पर दावा नहीं बनता है तथा वादी खुद स्वीकार किया है कि प्रतिवादी के द्वारा खरीदी गई जमीन 0.13 डिसमील पर मकान बनाया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के मुताबिक पक्षकार वादी द्वारा स्वीकार किया गया किसी तथ्य (फैक्ट) का अलग से साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त कथन के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
02.11.22  
अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

  
02.11.22  
अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा